न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **08/2014** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती हेमती पुत्री स्व. रामा पत्नी मोतीलाल गमेती (भील) निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री गेहरीलाल आत्मज लालू गमेती (भील) निवासी तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री कालू पिता तेजा गमेती गमेती (भील) निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

1/1 श्री भंवरलाल पिता स्व. श्री कालू जरिये संरक्षक माता श्रीमती गंगाबाई निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2 श्री तुलसीराम पिता स्व. श्री कालू जरिये संरक्षक माता श्रीमती गंगाबाई निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

1/3 श्री धरमलाल पिता स्व. श्री कालू जरिये संरक्षक माता श्रीमती गंगाबाई निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

1/4 श्रीमती जमना पुत्री स्व. श्री कालू निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

1/5 श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. श्री कालू निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

2. श्री वालू पिता नवला गमेती निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

2/1 श्रीमती गीताबाई पुत्री स्व. श्री नोजीराम (पुत्र स्व.वालू) पत्नी श्री पुरालाल निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

2/2 श्रीमती गेसली बाई पत्नी स्व. श्री वालू निवासी ग्राम वाडा (ढीकली) हाल भुवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्री भंवरलाल पिता सोका भील निवासी शोम जी का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

4. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर, जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर राज.

5. श्री लोकेश पिता लालू राम गमेती निवासी 19, माधव नगर शोभागपुरा जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 24.09.2005 द्वारा नायब तहसीलदार गिर्वा

उपस्थित : श्री सुशील कोठारी, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री नरपतसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4
श्री सुरेशचन्द्र श्रीमाली, अधिवक्ता वि.सं.1/1, 1/2, 1/3, 1/5
श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 व 5

निर्णय

दिनांकः—09.12.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 24.09.2005 द्वारा नायब तहसीलदार गिर्वा के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेन्टगणों ने आपस में दुर्भिसंधी कर रामा का 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 एवं अन्य व्यक्तियों के नाम नामान्तकरण सं. 28 के माध्यम से दर्ज करवा दिया तथा अपीलार्थीगण को उनके अधिकार से वंचित करने के प्रयोजन से दिनांक 03.07.04 को एक नुमाईशी विक्रय विलेख रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से रेस्पोडेन्ट सं. 3 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवाया एवं उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तकरण पटवारी हल्का ढीकली से दिनांक 12.09.05 को खुलवाकर नायब तहसीलदार गिर्वा से 24.09.05 को स्वीकृत करवा लिया। जबकि नामान्तकरण सं. 28 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अपील रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत की जो न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्टगणों ने आपसी दुर्भिसंधि से नामान्तकरण सं. 28 पारित करवाया एवं उसके पश्चात नुमाईशी विक्रय विलेख तैयार किया एवं विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व ग्राम वाडा के आराजी सं. 1189 रकबा 1.1100 है. भूमि में से अपीलार्थीगण के 1/4 हिस्से से अपीलार्थीगण को वंचित करने के प्रयोजन से अपने नाम नामान्तकरण करवा लिया। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 3 का न तो मौके पर कब्जा है, नाही इस भूमि पर आया। यह मावली का निवासी है। किसी भूमि दलाल द्वारा नुमाईशी विक्रय विलेख निष्पादित करवाया है, जबकि मृतक खातेदार रामा के निधन के समय अपीलार्थी सं. 1 व 2 उत्तराधिकारी थे तथा रामा की ग्रेच्यूटी, पीएफ, इत्यादि के संबंध में माननीय जिला न्यायालय उदयपुर द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक

25.09.1999 को जारी किया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 रामा के दुसरी पुत्री पेमली का पुत्र है। इस प्रकार रामा के वैध उत्तराधिकारीयों को वंचित रखते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम नामान्तकरण पारित कर आराजी सं. 1189 का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामान्तकरण पारित करते समय अपीलार्थीगणों को कोई सूचना नहीं दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने अधिकार का अतिक्रमण कर नामान्तकरण पारित किया गया है जो खारिज योग्य होने से नामान्तकरण सं. 144 दिनांक 24.09.05 ग्राम वाडा का अपास्त किया जाकर आराजी सं. 1189 रकबा 1.1100 है. भूमि में से मृतक खातेदार रामा का 1/4 हिस्सा अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कराया जायें।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण प्रार्थी को बिना सुने तथा सूचना दिये बिना पारित किया गया। प्रार्थीगण को हालही में यह जानकारी होने पर कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा उनकी खातेदारी भूमि का विक्रय कर रहे है। जिस पर तत्काल पटवारी हल्का के पास जाकर नकले प्राप्त की। विक्रय का ज्ञान होते ही नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की एवं दिनांक 04.11.09 को नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील तारीख जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन कराया जाकर अपील अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण स्व. रामा पिता नवला की जायन्दा पुत्रियां होकर स्वर्गीय रामा की भूमि का नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम होना चाहिए परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तकरण 28 पारित करा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को बिना अधिकार के अपने नाम दर्ज करवाया लिया जिससे पीडित होकर उक्त आदेश से प्रार्थीगण के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण सं. 144 दिनांक 24.09.05 द्वारा नायब तहसीलदार गिर्वा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दिलायी जाये।

अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगणो के पक्ष में जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है एवं राजस्व जमाबन्दी की प्रति भी प्रासांगिक दस्तावेज है जिन्हे न्यायाहित में रेकार्ड पर लिया जाना अनिवार्य है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/2, 1/3 व 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र श्रीमाली उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से अधिवक्ता

श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1/4 की तामील जरिये अखबार से करवायी गई, जो अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 2/1, 2/2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 1/4, 2/1 व 2/2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 14.10.19 को अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील चार साल दो माह मयाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। जो अपील मयाद के बिन्दु पर निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपने प्रार्थनापत्र में देरी का कोई वास्तविक कारण नहीं बताया है। प्रकरण में मयाद का बिन्दु सबसे पहले तय किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो कि चल सम्पत्ति का है जिसका इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। नामान्तकरण 144 दिनांक 24.09.05 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है जो बिल्कुल सही है। जिसे अपीलान्ट को चेलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस नामान्तकरण को नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। जब तक विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा दे तब तक म्यूटेशन की अपील नही की जा सकती है। नाही ऐसे नामान्तकरण को चेलेंज किया जा सकता है। अपीलान्ट का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा, नाही उसका कोई लोकसस्टेण्डाई नहीं होने से अपील काबिल निरस्त हैं। मौजूदा रेस्पोडेन्ट के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है तथा कब्जा है एवं अपीलान्ट के हक में कुछ भी नहीं है। अपीलान्ट का इंच मात्र जमीन पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट चाहता है तो वह उप जिला कलक्टर के यहां खातेदारी अधिकारो की घोषणा व कब्जेयाबी का वाद पेश कर सकता है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमायी जाकर अपील निरस्त फरमायी जाये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट द्वारा रजिस्टर्ड बिकावनामे के आधार पर खरीदी गई जमीन जिसका कब्जा रेस्पोडेन्ट को सिपुर्दु कर दिया गया है एवं उसी दस्तावेज के आधार पर अपीलीय नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है। उसी की अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है। सक्षम न्यायालय द्वारा कथित विक्रय पत्र निरस्त नहीं किया जाता है तब तक अपील लाई नहीं होती है। भूमाफिया द्वारा कथित नामान्तकरण के विरूद्ध जानबुझकर गलत अपील पेश की गई है। अपीलान्ट को दिनांक 24.09.05 से ही नामान्तकरण की जानकारी थी, उसके उपरान्त चार साल बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस समयावधि में अपीलान्टगण कभी भी पटवारी के पास नहीं गये। न जमाबन्दी की नकले निकलवायी। जबकि जमाबन्दी की नकले भूमाफिया ने प्राप्त की तथा जानबुझकर मयाद के बाहर यह अपील पेश की गई। राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम नहीं है, ना ही जमीन से कोई संबंध है, ना ही कब्जा है। इनके द्वारा नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि कब प्राप्त की इसका कोई ज्ञान अपीलान्ट को नहीं है। चार साल के अति विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है जो मयाद बाहर होने से खारीज फरमायी जाये।

रेस्पोडेंट संख्या 3 व 5 द्वारा धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तकरण विक्रय विलेख के आधार पर खोला गया हैं। प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा अनुसूचित जनजाति में लडकियों का कोई हक अधिकार नही लगता है। उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। मात्र भुमाफियाओं द्वारा यह अपील प्रस्तुत करवायी गई हैं। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। अतः अपील खारीज फरमायी जाये।

रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित जायदाद से अपीलान्ट का कोई संबंध नहीं है। अपीलान्टगण अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। न ही राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रार्थी जो दस्तावेज पेश कर रहे है, वह दस्तावेज कोई महत्व नहीं रखते है। ना ही उन्हे पेश करने का कोई अधिकार है। ऐसे दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा वाडा पटवार हल्का ढीकली की आराजी नं. 1435, 1454, 1464, 1474, 1487 व 1488 कुल किता 6 एवं अन्य कृषि भूमि (जिनका उल्लेख नामान्तकरण सं. 28 में है) में मृतक खातेदार रामा पिता नवला भील का 1/4 हिस्सा होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। रामा का कोई पुत्र नहीं होकर अपीलान्ट सं. 1 हेमती व अपीलान्ट सं. 2 की मां होमली पुत्रियां ही है। अपीलान्ट सं. 2 की मृत्यु होने से उसका पुत्र अपीलान्ट सं. 2 हैं। दिनांक 28.11.97 को रामा की मृत्यु हो जाने से उसकी दोनो पुत्रियां ही खातेदार काबिज थी परन्तु नामान्तकरण पुत्रियों के बजाय रामा के भाई के पुत्रों व पुत्रियों के नाम नामान्तकरण सं. 28 दिनांक 05.08.03 को पटवारी हल्का की झुठी रिपोर्ट कि रामा के कोई संतान नहीं के आधार पर ग्राम पंचायत ढीकली द्वारा खोल दिया गया, जबकि रामा की दोनो पुत्रियां जीवित थी। उक्त नामान्तकरण को चुनौति दी गई जो वर्तमान में प्रकरण सं. 7/13 सहायक कलक्टर मुख्यालय उदयपुर में लम्बित होकर आगामी पेशी दिनांक 12.12.19 को नियत है। नामान्तकरण 28, 144 व 266 बाबत तीन पृथक–पृथक अपील एक साथ एक ही दिन प्रस्तुत की परन्तु दो अपील आप माननीय न्यायालय उदयपुर में एवं एक अपील सहायक कलक्टर उदयपुर में ट्रांसफर हो गई। जबकि न्यायहित में तीनो का निस्तारण एक साथ अनिवार्य है। रामा की भूमि उसकी पुत्रियों के नाम दर्ज नहीं कर बेईमानीपूर्वक रामा के भाई के पुत्र व पुत्रियों के नाम दर्ज कर दी गई। जिसे रामा के भाई व पुत्रियों द्वारा वर्तमान प्रत्यर्थीगण जो कि मावली एवं वल्लभनगर के निवासी है, को

विक्रय कर दिया जो कि बेनामी खरीददार होकर उनके पिछे भूमि व्यवसायी लिप्त है। चूंकि भूमि उदयपुर शहर के नजदीक होने एवं हाईवे निकलने से काफी कीमती हो गई है। इस प्रकार अपीलान्टगण को उनके अधिकारों से वंचित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। ऐसा कोई कानून प्रचलन में नहीं है जिसके तहत मृतक खातेदार की पुत्रियों के जीवित रहते उनके नाम विरासत खोलने के बजाय मृतक के भाई के पुत्रों व पुत्रियों के नाम नामान्तकरण खोल दिया जाये। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मृतक स्वयं की पुत्रियों के जीवित रहते उसके भाई के पुत्र/पुत्रियों के नाम खोले गये नामान्तकरण एवं पश्चातवर्ती नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तकरण सं. 28, 144 एवं 266 तीनों की भूमियों की एक साथ सुनवाई कराई जावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 5 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई एवं बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं. 144 जो दिनांक 24.09.05 को स्वीकृत किया गया उसके विरूद्ध अपील आप न्यायालय में पेश की गई है। इस मामले में दौराने अपील कालू व वालू का स्वर्गवास हो गया उसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा उप जिला कलक्टर गिर्वा के यहां नामकायमी का प्रार्थनापत्र दिनांक 14.07.10 को पेश किया गया जिसमें वालू के निम्न वारिसान बताये गये परन्तु आप न्यायालय में दो वारिसान के संबंध में ही नामकायमी का आदेश दिया गया तथा इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कालू पिता तेजा गमेती विवादग्रस्त आराजीयात का मालिक काबिज व खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। कथित जमीन के साबिक आराजी नंम्बर जो बताये गये उसका कोई विवरण अपीलान्ट ने अपील में नहीं दिया है अपीलीय नामान्तकरण में दर्ज भूमि कालू व वालू के नाम 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज है जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुई तथा उसके आराजी नं. 1189 रकबा 1.1100 हे. भूमि दर्ज थी। जो कालू व वालू के हक में स्वीकृत किया गया। उस आदेश के विरूद्ध कोई अपील अपीलान्ट ने पेश नहीं की परन्तु कालू व वालू द्वारा अपना 1/3 हिस्सा विक्रय कर दिया। जिसके आधार पर अपीलीय नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। उसके विरूद्ध रामा व तेजा गमेती के वारिसान ने अपील पेश की तथा उस अपील में प्रार्थी लोकेश पिता लालू राम गमेती ने आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थनापत्र पेश कर पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर पक्षकार संयोजित किया गया। लोकेश गमेती द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। इसके पूर्व मूल खातेदार कालू पिता तेजा व वालू पिता नवला द्वारा अपने हक व हिस्से की कुल भूमि को भंवरलाल पिता सोका भील को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। उसी दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण सं. 144 दर्ज हुआ। धारा 96 जा.दी. का प्रार्थनापत्र गलत आधारो पर प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की गई हैं जबकि अपीलान्ट्स एग्रीव्ड व्यक्ति नहीं है। अपीलीय नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोल कर स्वीकृत किया गया है। उस आदेश से अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। अपीलान्ट रेकार्डेड काश्तकार नहीं है, ना ही उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। जब तक अपीलान्ट

मूल विरासत के नामान्तकरण के विरूद्ध अपील कर उसे निरस्त नहीं करवा दे या दावा कर अपने हक हकूक तय नहीं करवा दे तब तक अपीलान्ट को कथित नामान्तकरण सं. 144 के विरूद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में दावा कर अपने हक अधिकारों को तय करा सकते है। हेमती व पेमली को इस मामले में रामा जी की पुत्री बताया है व गेहरीलाल को पेमली का लड़का बताया गया है। अपील में सजरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मात्र पैसे उठाने तक के लिए था। कालू व वालू की जमीन में कोई हक अधिकार इस प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बनता है। अनुसूचित जनजाति के मामले में लडकियों को रामा की जायदाद में कोई हक अधिकार नहीं है। लार्जर बेन्च ने भी इसे तय किया है। जब तक मूल वारिसान के आधार पर खोले गये म्यूटेशन को चेलेंज नहीं किया जावे तब तक अपीलीय नामान्तकरण की अपील करने का अधिकार अपीलान्ट को नहीं है। अपीलान्ट द्वारा मूल नामान्तकरण सं. 28 के विरूद्ध कोई अपील किसी भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है। अपीलान्ट को अपीलीय नामान्तकरण का ज्ञान 24.09.05 को ही था, परन्तु उसके द्वारा 01.12.09 को अपील पेश की गई है। जो चार वर्षो के अति विलम्ब से पेश की गई हैं, जो धारा 5 के प्रार्थनापत्र में दिये गये विलम्ब के कारण संतोषप्रद नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी यह तय किया गया है कि देरी का वास्तविक कारण नहीं बताने पर अपील मयाद के बिन्दु पर निरस्त कर दी जाये। अपीलान्टगण द्वारा किये गये कथन वेग किये है। वेग आधारो पर मयाद कण्डोन नहीं की जा सकती है। मात्र भूमाफियो ने अपीलान्ट से जानबुझकर गलत अपील पेश करायी है। वास्तविकता यह है कि कालू व वालू जिन्हे अपने पिता से प्राप्त भूमि जिसके वे खातेदार, काश्तकार होकर मालिक काबिज है जिनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से भंवरलाल पिता सोका भील को विक्रय की व कब्जा सिपुर्द किया गया। उसी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में भंवरलाल के नाम भूमि दर्ज हुई व भूमि का उपयोग/उपभोग करता रहा। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर विक्रय पत्र को निरस्त कराने के बाद ही कब्जा लेने का भी वाद पेश कर सकते है, परन्तु अपीलान्ट ने ऐसा नहीं किया। वर्तमान में धारा 90 बी की कार्यवाही होकर यह जमीन राजस्व रेकार्ड में यूआईटी के नाम पर दर्ज है। यूआईटी द्वारा उक्त जमीन के पट्टे भी खातेदारों को दे दिये गये है तथा इन सब आधारो पर अपीलान्ट की अपील मेन्टीनेबल नहीं होने से तथा किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं होने से हर दृष्टि से काबिल निरस्त है। अपने कथनो की ताईद में R.R.T.2018(2) P.1552, R.B.J.2003 P.12, R.B.J.2007 P.7, R.R.T.2006(2) P.227, R.B.J.2003 P.392, R.B.J.2003 P.305, R.R.D.2002 P.282, D.N.J. 2015 P.202, R.B.J.2010 P.289, R.R.D. 1995 P. 64, R.B.J.2012 P.301, R.B.J.2010 P.629, R.B.J.2018 P.356, R.B.J.2014 P.74, R.B.J.2006 P.136, RRT 2005 (2) P. 1018, RRD 1975 P.191 की नजीरे प्रस्तुत की है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मियाद बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तरकरण को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा

प्रमाणित किया गया है। अपीलीय नामान्तकरण से हस्तान्तरित भूमि का हित अपीलान्टगणों का है। विरासत से खोले गये नामान्तकरण की अपील भी अपीलान्टगण द्वारा की जाकर वर्तमान में सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा में विचाराधीन होना बताया है। अपीलान्ट द्वारा अपीलीय नामान्तकरण की प्रति दिनांक 04.11.09 को प्राप्त की गई है एवं अपील दिनांक 01.12.09 को प्रस्तुत की गई हैं जो समयावधि में होने से अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित हैं।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. के संबधं में न्यायालय का मत है कि अपीलान्ट सं. 1 रामा की जायन्दा पुत्री है। जिसके द्वारा विरासत की नामान्तकरण सं. 28 की अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। अपीलीय नामान्तकरण से हस्तान्तरित भूमि में रामा का भी हिस्सा नियत था। उसी भूमि से संबंधित अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसे प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति दिया जाना न्यायोचित होने से अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. के संबधं में न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत दस्तावेज जिला न्यायाधीश उदयपुर के विविध दीवानी प्र.सं. 129/99 में पारित आदेश दिनांक 25.09.99 व जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति है। प्रस्तुत दस्तावेज सक्षम न्यायालय के पारित आदेश की छायाप्रति है, जो संदिग्ध नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेज सुसंगतित दस्तावेज होने से पत्रावली पर रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कालू पिता तेजा गमेती व वालू पिता नवला गमेती को अपने पिता से प्राप्त मौजा वाडा के आराजी नं. 1189 रकबा 1.1100 हे. भूमि जो कि राजस्व अभिलेख में 1/3, 1/3 हिस्से से दर्ज होकर उनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से भंवरलाल पिता सोका भील निवासी शोभजी का खेडा को विक्रय कर दी गई। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर हस्तान्तरित भूमि जो की राजस्व अभिलेख में क्रेता के नाम अपीलीय नामान्तरकरण से दर्ज होकर नायब तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत हुआ हैं।
जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा इस आधार पर की गई है कि उक्त भूमि मूल खातेदार रामा पिता नवला भील का 1/4 हिस्सा होकर रामा की मृत्यु दिनांक 28.11.97 को हो जाने से उसके कोई पुत्र नहीं होकर दोनो पुत्रियां हेमती व होमली थी, इसके बावजूद पटवारी द्वारा पुत्र नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा रामा के भाई व उनके पुत्र/पुत्रियों के नाम दर्ज कर दिया गया, परन्तु हस्तगत अपीलीय नामान्तकरण विरासत से खोला गया नामान्तकरण नहीं है। यह नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में कालू पिता तेजा 1/3, वालू पिता नवला

1/3 के नाम पर दर्ज भूमि में से मौजा वाडा की आराजी नं. 1189 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय किये गये। दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तकरण की अपील अपीलान्ट द्वारा की गई है।

न्यायालय का मत है कि जब तक अपीलान्ट मूल विरासत के नामान्तकरण के विरूद्ध अपील कर उसे निरस्त नहीं करवा दे या दावा कर अपने हक हकूक तय नहीं करवा दे तब तक अपीलान्ट को कथित नामान्तकरण सं. 144 के विरूद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, क्यो कि अपीलीय नामान्तरकरण पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोला जाकर निर्णित हुआ है, अपीलार्थी द्वारा मूल विरासत के नामान्तकरण सं. 28 दिनांक 05.08.03 की अपील प्रस्तुत कर दी गई है, जो वर्तमान में सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलान्ट को जो भी दाद प्राप्त होगी, वह उसी अपील में प्राप्त होगी।

हस्तगत नामान्तकरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है, जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चेलेंज कर निरस्त नहीं करवा दे, तब तक उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व कब्जे के आधार पर खोले गये म्यूटेशन को व स्वीकृत म्यूटेशन को चेलेंज किया गया है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने कई प्रकरणों में उदाहरण दिये है कि अगर अपीलान्ट का कोई हक अधिकार लगता हो तो वह सक्षम न्यायालय में दावा कर अपने हक अधिकारो को तय करा सकती है। वर्तमान में उक्त भूमि की 90 बी कार्यवाही होकर यह जमीन राजस्व रेकार्ड में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो चुकी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा वाडा पटवार हल्का ढीकली के अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 144 निर्णय दिनांक 24.09.05 में कोई कानुनी त्रुटी नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गिर्वा द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश को बहाल रखा जाता हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.17 11:15:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: